न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीनिधि. बी.टी, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 9/2018 RCMS No. 2018/00196
दायरा तिथि : 19.12.2017
आदेश तिथि :

प्रार्थी :–
श्री हंसाराम पुत्र पुनाजी जाति मेघवाल
निवासी करनवा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–
1. श्रीमति सुखीबाई पत्नि जवानमलजी
2. जवाना पुत्र रताजी जातिगण घॉची
   निवासीगण करनवा तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित नियम–68 राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012

आदेश दिनांक :

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित सहखातेदारी भूमि लुनावा के खसरा नंबर 2240 रकबा 0.90 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल मे आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अन्य खातेदार सुखीबाई पत्नि जवानमलजी व जवाना पुत्र रताजी की सहखातेदारी भूमि ग्राम लुनावा के खसरा नंबर 2241 रकबा 0.56 हैक्टर मे से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियॉ भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही अप्रार्थी को आक्षेप प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार, बाली ने न्यायालय आदेश की अनुपालना में राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट लुनावा में दिनांक 17.05.2018 को भू0अभिलेख निरीक्षक सेवाडी की रिपोर्ट सहित तथ्यात्मक प्रतिवेदन पेश किया। परन्तु केम्प में अप्रार्थीगण सहमत नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण नही हो सका। प्रकरण में अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शिवलाल परिहार द्वारा पैरवी करते हुये लम्बे समय तक जबाव/आपत्ति पेश करने के लिये समय लिया जाता रहा। दिनांक 30.10.2019 को अधिवक्ता अप्रार्थीगण न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उन्हे न्याय हित में अंतिम समय अवसर एक सप्ताह का दिया गया। इसके बावजुद भी वकील अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का एतराज/आपत्ति पेश नहीं की गई। दिनांक 11.11.2019 को वकील अप्रार्थी पुनः अनुपस्थित रहने से वकील प्रार्थी श्री कांतिलाल बावल की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी कांतिलाल बावल में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि धारा 251 क के प्रावधानो अनुसार किसी खातेदार काश्तकार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई रास्ता मौजूद नहीं है, तो न्यायालय आवेदन पर संक्षिप्त जांच के पश्चात् रास्ता उपलब्ध कराये जाने बाबत् आदेश प्रसारित कर सकता है, परन्तु उक्त प्रकरण में तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट प्राप्ति के पश्चात् करीब डेढ वर्ष का समय व्यतित होने के बावजुद अप्रार्थी पक्ष द्वारा कोई एतराज पेश नहीं किया गया ह, अतः प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा दिनांक 17.05.2018 को प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में दर्शित स्थान से प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध कराने बाबत् आदेश पारित किया जावे। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से यह जाहिर हैं कि तहसीलदार, बाली द्वारा केम्प कोर्ट लुनावा में दिनांक 17.05.2018 को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है, एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 30.04.2018 को प्रकरण में वकालतनामा प्रस्तुती के पश्चात् न्यायालय द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने के लिये कई मर्तबा समय अवसर दिये जाने के बावजुद किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई है। जिससे तहसीलदार, बाली द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत हैं। तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के खातेदारी भूमि तक पहुँच के लिये कोई विकल्प नहीं है।

पेज लगातार 02

उप-खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 9/2019 RCMS No. 2018/00196

अनवान हंसाराम बनाम सुखीबाई वगैरा अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियमम, 1955

इस संबध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 क के प्रावधानो अनुसार अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना (1) जहां– (ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है– और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता हैं, तो एक अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगें और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान होता है कि–

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह केवल जोत सुविधजनक उपभोग के लिए नहीं हैं, और

(ii) अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक साधान का अभाव सिद्व किया गया है:–

तो, आदेश द्वारा, आवेदन को, उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि मेंसे होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौडा करने के लिए उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौडा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 क में विधि के प्रावधानो अनुसार यह एक समरी प्रोसिडिंग्स है, जिसमें रिपोर्ट प्राप्ति के पश्चात् किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिये, प्रकरण में चूँकि रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अतः प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि ग्राम लुनावा के खसरा नंबर 2240 रकबा 0.90 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में आवागमन के लिये तहसीलदार, बाली द्वारा केम्प कोर्ट, लुनावा में दिनांक 17.05.2018 को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 2241 रकबा 0.56 हैक्टर मेंसे **56X5=280** वर्गमीटर का रास्ता तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संलग्न नक्शा मौका के अनुरूप नियमो के नियम–70(ii)(क) के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रतिकर राशि निर्धारित कर उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

ख. नं.	कुल क्षैत्रफल (हैक्टर) व किस्म	रास्ते के लिए प्रभावित क्षैत्रफल (व. मी.)	डीएलसी दर 31900/– रूपये प्रति बीघा की दर से (प्रति व.मी.)	वसूल देय प्रतिकर राशि (डीएलसी दर की दुगुनी)	प्रभावित खातेदार का नाम
2241	0.56 हैक्टर बारानीअव्वल	**56X5=280 व.मी**	19.94	11166/–	सुखीबाई पत्नि जवानमल जवाना पुत्र रता कौम घांची सा. देह खातेदार

तहसीलदार, बाली के प्रतिवेदनानुसार प्रस्तावित रास्ते मे अन्य कोई क्षति यथा वृक्ष/संरचना/निर्माण कारित नही है। अतः राशि रूपये **11166/–** अक्षरे **ग्यारह हजार एक सौ सियासठ रूपये** बतौर प्रतिकर उपरोक्त खातेदार को देय होंगे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(क)(2) के तहत स्वीकृत रास्ता की भूमि राजस्व रेकॉर्ड में बतौर "रास्ता" राजकीय खाते में दर्ज की जावेगी एवं आवागमन के अतिरिक्त अन्य कोई अधिकार आवेदक को अर्जित नही होगे। तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुसार नक्शे में **280 वर्गमीटर** नया रास्ता की तरमीम के साथ राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावेगा। आवेदक द्वारा राशि रूपये **11166/–** अप्रार्थी प्रभावित खातेदारान् को अदा की जावेगी प्रभावित खातेदार/अप्रार्थी द्वारा आवेदक से प्रतिकर राशि ग्रहण नही करने की स्थिति में आवेदक द्वारा प्रतिकर राशि बतौर अमानत तहसील कार्यालय, बाली में जमा करवाई जावेगी तथा तहसीलदार, बाली द्वारा उक्त राशि प्रभावित खातेदारान् को उपलब्ध कराई जावेगी। तहसीलदार द्वारा बाली द्वारा प्रस्तुत संलग्न नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। तहसीलदार बाली आवेदक द्वारा प्रतिकर राशि के भुगतान की सुनिश्चितता कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 18.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)

Sreenidhi

([illegible])
उपखण्ड अधिकारी, बाली
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक :

क्रमांक : कोर्ट/2019/

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार, बाली
2. भू.अ.निरीक्षक, सेवाडी
3. पटवारी हल्का, लुनावा
4. तहसील राजस्व लेखाकार, बाली
5. प्रार्थी हंसाराम पुत्र पुनाजी जाति मेघवाल नि0 करनवा

Sreenidhi

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

अक्स शजरा ट्रेस
ग्राम कुणावा
तहसील बाली
जिला - पाली

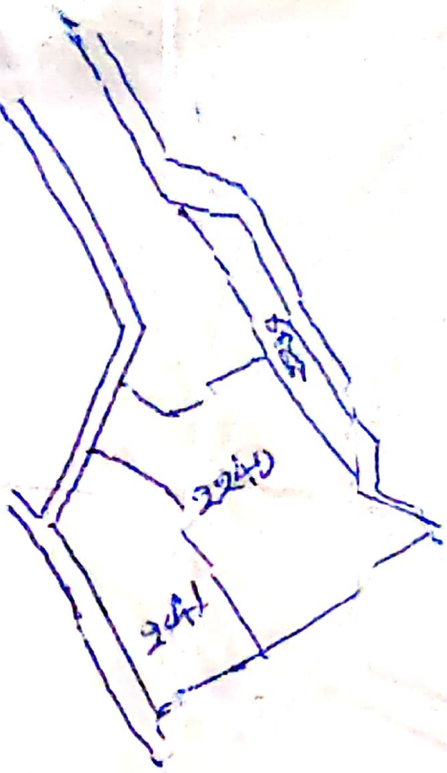

सत्यापित प्रतिलिपि
P-35 173 / 16-03-18

Sd.
सुनील प्रसाद
पटवारी भू.अ. (कुणावा)
तहसील - बाली. जिला - पाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sreenidhi B T
Date: 2019.12.06 11:47:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: